न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 140/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

हरि आयु 40 साल पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी चाचोडा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामचन्द्र पुत्र बिशना, जाति मीना, निवासी चाचोडा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– कजोड़ पुत्र रामचन्द्र, जाति मीना, निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– भूरी पुत्री रामचन्द्र, जाति मीना, निवासी हिलव्यु कालोनी, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

4– राममूर्ति पुत्री नन्दकिशोर, जाति मीना, निवासी चाचोडा, तहसील छबडा, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 68/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी के पूर्वजों के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 82 की खसरा नम्बर 169 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम चांचोडा, तहसील छबडा में स्थित है तथा खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 796 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके माल शंकर कालोनी, तहसील छबडा में प्रतिवादी क्रम 4 के खाते दर्ज चली आ रही है । वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं । पक्षकारान के मध्य आपस में आराजी के विभाजन के सम्बन्ध में लड़ाई–झगड़ा होता रहा है तथा वादी का हिस्सा प्रतिवादीगण ऐनकेन प्रकारेण हड़पना चाहते हैं । प्रतिवादीगण वादी को आराजी काश्त करने में अडचन पैदा करते हैं । खाता संख्या 120 की आराजी खसरा नम्बर 796 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा को वादी नाबालिग अवस्था में था उस वक्त ही प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रतिवादी क्रम 4 को विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी क्रम 4 के पक्ष में इंतकाल दर्ज कर दिया । वादी खाता नम्बर 126 की खसरा नम्बर 796 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके माल शंकर कालोनी, तहसील छबडा में स्थित भूमि में 1/4 हिस्सा पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का वैधानिक रूप से अधिकारी है तथा खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 169 रकबा 9 बीघा वाके माल चांचोडा जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसमें से 1/3 में से 1/4 हिस्सा वादी घोषणा करके बंटवारा करवाकर स्वयं के नाम राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2017 को वास्ते जवाब पेशी 15.05.2017 को नियत की थी उसके बाद दिनांक 02.05.2017 को पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 19.05.2017 नियत कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और इसी कारण अपीलांट वादी को लोक अदालत की जानकारी नहीं मिल सकी । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक

19.05.2017 को केम्प चाचोडा पर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नम्बर 4 व रामचन्द्र प्रतिवादी क्रम 1/रेस्पोडेंट की उपस्थिति दर्ज कर आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था फिर भी उसी दिन निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से मानसिंह और गब्बा उपस्थित थे और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 उपस्थित थे । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दावा डिक्री किया है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा

पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा